बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल–1, अररिया
पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – **13E/2020-21**
(केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)

1. कार्यों की विवरणी (र्जना/शीर्ष/मद का नाम) : – **मु0म0क्षे0 विकास एवं सी0क्षे0वि0 कार्यक्रम**

ग्रुप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रूपये में)	अग्रधन की राशि (रूपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (रूपये में)	बीड प्रोसेसिंग शुल्क (अप्रत्यर्पणीय) (रूपये में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम					
1	कुर्साकांटा प्रखण्ड अन्तर्गत भाग परासी हटिया का शौचालय एवं अन्य सुविधाओं के साथ विकास।	**24.78**	**49600.00**	**5000.00**	**1150.00**	छः माह
	फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र					
2	जीरा देवी शीतल साह महिला महाविद्यालय में विज्ञान भवन के उपरी तल में दो रूम एवं बरामदा निर्माण।	**24.99**	**50000.00**	**5000.00**	**1150.00**	छः माह

2. विज्ञापन निर्गत करने की तिथि : दिनांक– 22.09.2020
3. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय : दिनांक 19.10.2020 से 25.10.2020 को 3.00 बजे अपराह्न तक (सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)
4. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 27.10.2020 समय 3.00 बजे अपराह्न । (सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 29.10.2020 समय 3.30 बजे अपराह्न (कंडिका 4 में उल्लेखित अंतिम तिथि से दो कार्य दिवस के पश्चात् की तिथि)। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर)
6. निविदा खोलने का स्थान : सिर्फ वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर
7. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन
8. ई–टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना आवश्यक है, जिससे उन्हें उपयोगकर्त्ता का नाम (User ID), पासवर्ड (Password) एवं अंकिय हस्ताक्षर (Digital Signature) प्राप्त होगा। यह उन्हें वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
9. ई–निविदा मात्र वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।
10. बिहार सरकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (संशोधित) एवं बिहार लोक निर्माण संहिता के संशोधित नियम 159 (ख) के अन्तर्गत 15 लाख से 25 लाख तक के निर्माण कार्यो के लिए स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी–4 में अररिया जिला के लिए निबंधित संवेदको से निविदा आमंत्रित की जाती है।
11. (i) परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल–1, अररिया के पदनाम से निर्गत हो तथा जो भारतीस स्टेट बैंक, अररिया में भुगतेय हो, को स्वीकार किया जायेगा । मूल बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, अररिया/अधीक्षण अभियता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पूर्णियां/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, पटना के कार्यालय में दिनांक 28.10.2020 (निविदा प्राप्ति की

अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस) के 3.00 बजे अपराह्न तक जमा किया जाना है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

(ii) अग्रधन की राशि राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक फिक्स डिपॉजिट का रसीद जो निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के छः माह बाद तक मान्य हो/डाकघर का एक/दो/तीन वर्षीय सावधि जमा पासबुक/राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/किसान विकास पत्र/पॉच वर्षीय राष्ट्रीय विकास बाण्ड/राज्य विकास ऋण प्रमाण पत्र कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, अररिया के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञिप्त (Pledged) हो को स्वीकार किया जायगा। इसकी मूल प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, अररिया/अधीक्षण अभियता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पूर्णियां/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, विश्वेश्रैया भवन, पटना के कार्यालय में दिनांक 28.10.2020 के 3:00 बजे अपराह्न तक अव य जमा किया जाना है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

(iii) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी। जो न्यूनतम 500 एवं 100 के गुणक में होगी।

(iv) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रद्यन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

(v) बीड प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन मोड यानि इन्टरनेट भुगतान गेटवे (क्रेडिट/डेबिट कार्ड), नेट बैंकिंग, एन ई एफ टी/आर टी जी एस के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य है।
आव यक ऑनलाईन भुगतान के साथ बीड, इस निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित तिथि एवं समय से पहले, ई–प्रोक्योरमेण्ट पोर्टल www.eproc.bihar.gov.in पर अपलोड किया जाना आवश्यक है। इन्टरनेट कनेक्सन, नेटवर्क ट्रैफिक/अवकाश (छुट्टियाँ) या अन्य किसी भी कारण से हुए विलम्ब/निविदा सबमिट (Submit) नहीं होने/ऑनलाइन के रीकनसीलिएशन (Reconciliation) नहीं होने की स्थिति के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नही होगी।
("Bid Processing Fee is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway (Credit/Debit Card), Net banking, NEFT/RTGS."
"Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason.")

12. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाईट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाईट पर ही इलेक्ट्रोनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई–निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

13. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ट संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी अभिलेख पीडीएफ(Pdf), एमएस ऑफिस(MS Office), कम्पेटीबिलिटी मोड (Compatibility Mode), जेपीईजी फॉरमेट (JPEG Format) में ही अपलोड(Upload) किये जाए, अन्य फारमेट (Format) में अपलोड डॉक्यूमेंटस(upload documents) के डाउनलोड/ओपेन(Download/open) नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

14. संवेदक स्कैन पर अपलोड किए गये कागजातों की डाउनलोडेबिलिटी/विजिबिलिटी (Downloadability/ visibility) से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।

15. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।

16. बीड प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित तिथि को 12.00 बजे रात्रि से निविदा डालने के निर्धारित समय के पूर्व यदि www.eproc.bihar.gov.in का लगातार 2 घंटे से अधिक समय के लिए सर्वर डाउन होने की स्थिति में निविदा डालने की तिथि स्वतः अगले दिन के लिए निर्धारित समय तक विस्तारित हो जाएगी।

17. किसी भी प्रकार का शुद्धि–पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

18. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु सहायता कक्ष–प्रथम तल्ला, प्लॉट नं0–एम/22, बैंक ऑफ इंडिया कम्पाउड, रोड नं0–25, श्री कृष्णा नगर, पटना–800001 से दूरभाष संख्या 9939035696 एवं 0612–2523006 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

19. संवेदको को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा मे भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

20. (i) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यो से वंचित (debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे।

(ii) निविदा सूचना की अन्य सभी शर्तो को पूरा करने के बावजूद, कोई संवेदक निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होगें यदि :–

(क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाला तथ्य समर्पित किया गया हो।

(ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का रिकॉर्ड (Record) खराब रहा हो अर्थात, उन्होंने आवंटित कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, संविदा की शर्तो के अनुसार कार्य सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो।

(iii) पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर, कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पदधारक पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने का पात्र नहीं होगी।

21. निविदा प्रस्ताव के साथ में एक पृथक पृष्ठ (चेकलिस्ट) पर निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों/वांछित सूचनाओं पृष्ठ संख्या के साथ अंकित करते हुए अपलोड (UPLOAD) किया जाना है।

(i) **अग्रधन**

अग्रधन की राशि राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक फिक्स डिपॉजिट का रसीद जो निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के छः माह बाद तक मान्य हो/डाकघर का एक/दो/तीन वर्षीय सावधि जमा पासबुक/राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/किसान विकास पत्र/पॉच वर्षीय राष्ट्रीय विकास बाण्ड/राज्य विकास ऋण प्रमाण पत्र कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, अररिया के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञिप्त (Pledged) कर स्वीकार किया जायेगा। इसकी मूल प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, अररिया/अधीक्षण अभियता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पूर्णियां/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, पटना के कार्यालय में दिनांक 28.10.2020 के 3:00 बजे अपराह्न तक अव य जमा किया जाना है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

(ii) 15 लाख से 25 लाख तक के निर्माण कार्यो के लिए स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी–4 में अररिया जिला के लिए संबंधित पथ प्रमंडल से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।

(iii) साझेदारी फर्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।

(iv) पैन कार्ड की प्रति।

(v) जि0एस0टी0 प्रमाण–पत्र की प्रति।

(vi) घोशणा का भापथ पत्र (अग्रलिखित प्रपत्र में Upload करने के साथ–साथ अग्रधन एवं परिमाण वपत्र की राशि के साथ कंडिका 21(i) में उल्लेखित कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक अव य जमा किया जाना है।)

"मैं अद्योहस्ताक्षरी (साफ–साफ बड़े अक्षरों में नाम) .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :–

(क) मेरे/हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा डिबार (Debar), बलैकलिस्टेड (Blacklisted) अथवा विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर रिसाइन्ड (Rescind) नही किया गया है।

(ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है ।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण–पत्र, कागजात, विवरणी सत्य हैं।

उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख' एवं 'ग में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' मे से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार, मेरे/हमारे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे/हमारे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।"

22. **प्रतिशत दर निविदा**

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाए।

(ख) अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी **Additional Performance Guarantee**

सभी कार्यो के अनुसूचित दर से कम की सीमा को पथ निर्माण विभाग के 447 **(S)** दिनांक 16.01.2020 एवं पत्रांक 449 **(S)** दिनांक 16.01.2020 के आलोक में समाप्त की जाती है। तदनुसार **Additional Performance Guarantee** लिया जायेगा।

परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदकों से एकरारनामा के पूर्व 5 प्रतिशत पाँच प्रतिशत जमानत की राशि (Security deposit) के अतिरिक्त, अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee) निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जायेगी:–

(i) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर :– 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee) प्रति एक प्रतिशत उद्धृत कम दर

(ii) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर :– 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर

(iii) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर :– 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर

(iv) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से उपर कम उद्धृत दर :– 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर

(v) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर :– 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee) प्रति एक प्रतिशत।

(vi) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 10 प्रतिशत कम उद्धृत दर :– 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee) प्रति एक प्रतिशत।

उदाहणस्वरूप :–

(a) 3 प्रतिशत कम दर के लिए अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee):– 3 x 0.25 अर्थात् 0.75 प्रतिशत

(b) 7 प्रतिशत कम दर के लिए अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee):– 5 x 0.25 + 2 x 0.5 = 2.25 प्रतिशत

(c) परिमाण विपत्र से 10 प्रतिशत कम उद्धृत दर के लिए 5 x 0.25 + 5 x 0.5 = 3.75 प्रतिशत

23. **निविदा निष्पादन**

(i) उपर्युक्त कंडिका 21 के (i) से (vii) में से कोई कागजात अपलोड (Up-load½ नहीं करने एवं आवश्यक अग्रधन की राशि, परिमाण विपत्र का मुल्य एवं घोषणा का शपथ पत्र मूल में निर्धारित अवधि तक जमा नहीं करने की स्थिति में उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति द्वारा (निविदा निष्पादन की प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत) जाँचोपरान्त निविदा का निष्पादन किया जायेगा।

(iii) निविदा खोलने के उपरान्त सफल न्यूनतम दरदाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।

(iv) निविदा में सफल एकाधिक संवेदको से उद्धत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटस) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही आवश्यकतानुसार दर–प्रक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

24. **एकरारनामा**

(i) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अन्दर लोक निर्माण संहिता के प्रपत्र एफ–2 (कंडिका–23 विलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।

(ii) एकरारनामा करने के उपरांत मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(iii) अविलम्ब कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित सूचना पट्ट उसके आकार प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियन्ता के निदेशों का पालन करना होगा।

25. **भुगतान की प्रक्रिया**

(i) कार्य प्रारंभ के पूर्व, कार्य के दौरान यथा प्रत्येक विपत्र के साथ तथा कार्य समाप्ति के उपरांत, संबंधित कार्य स्थल की फोटोग्राफी / विडियोग्राफी संवेदक को स्वयं करानी होगी एवं उसकी सी०डी० सम्बंधित सहायक अभियंता के माध्यम से प्रमंडल में जमा करानी होगी जिसे निर्धारित वेवसाइट पर प्रत्येक विपत्र के समय अपलोड किया जायेगा अन्यथा इसके अभाव में कार्य का भुगतान रोक दिया जा सकता है।

(ii) आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा। इस मद में कोई दावा या ब्याज इत्यादि अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) आवंटन उपलब्ध रहने पर विशिष्टियों के अनुरूप कृत कार्य का भुगतान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में कम–से–कम एक बार निश्चित रूप से करेगें।

26. **अन्य शर्तें**

(i) निविदा में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर, अवधि विस्तार की स्वीकृत नहीं दी जायगी।

(ii) संवेदक के विपत्र से अन्य आव यक कटौतियो के अतिरिक्त 1: (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु कटौती की जायेगी।

(iii) संवेदक को आवंटित कार्य से संबंधित आवश्यकतानुसार सभी यंत्र–सयंत्रों, गुण–नियंत्रण उपकरणों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी । जिसके लिए किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

(iv) कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 80/100 ग्रेड पैक्ड बिटुमेन (समकक्ष विस्कोस्टी ग्रेड के) अथवा सामग्री जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्त्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वंय अपनी लागत पर करनी होगी, जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमेन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनीयों से ही करना होगा तथा बिटुमेन क्रय के 48 घण्टें के अंदर कैश मेमो संबंधित सहायक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा।

(v) दस्तावेजों की मूल प्रति को सक्षम पदाधिकारी, द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।

(vi) ओवर हेड मद के अंतर्गत होने वाले व्यय यथा गुण नियंत्रण, गोदाम निर्माण–सह–स्थल–कार्यालय का निर्माण, बिजली, पानी, पर्यवेक्षण हेतु वाहन एवं वैट इत्यादि का वहन संवेदक द्वारा ही किया जाएगा।

(vii) अनुमानित राशि घट–बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्त्तन किया जा सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि के अनुसार अग्रधन की राशि देय होगी।

(viii) दर के संबंध में और कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(ix) सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

(x) सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्ही कार्यो को या किसी कार्य के किन्ही अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(xi) कार्य आवंटन के प चात अद्यतन श्रम विभाग प्रमाण पत्र की प्रति (एकरारनामा के पूर्व) जमा करना होगा।

27. यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त्त भी एकरारनामा का अंग होगा।

कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमंडल–1, अररिया

ज्ञापांक :– 2390 दिनांक – 22.9.20

प्रतिलिपिः– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, अररिया को विभागीय वेबसाई पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/9/2020

कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमंडल–1, अररिया